न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–पन्ना R-695-I-17

1– चन्दनिया बेवा स्व. श्री बद्रीप्रसाद पटेल
2– राजकरण पुत्र स्व. श्री बद्रीप्रसाद पटेल
3– जयकरण पुत्र स्व. श्री बद्रीप्रसाद पटेल
निवासीगण–ग्राम जिगनी तहसील अजयगढ़ जिला – पन्ना (म.प्र.)

...... आवेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 20.2.17 को प्रस्तुत

रीडर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

राघवेन्द्र सिंह पुत्र श्री मेघराज सिंह
निवासी – खातीपुरा (राजस्थान) हाल निवास माधौगंज तहसील अजयगढ़ जिला – पन्ना द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि हरिसेठी हाल निवास माधौगंज तहसील अजयगढ़ जिला – पन्ना (म.प्र.)

...... अनावेदक

20/2/17

न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डल बीरा तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/अ–70/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 09.02.2017 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम जिगनी में स्थित भूमि खसरा नं. 171/1 क रकवा 0.24 है0 आवेदिका के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि है। उक्त भूमि में से अनावेदक द्वारा रेत परिवहन किये जाने हेतु रास्ता के संबंध में एक इकरार नामा आवेदिका के साथ तथा कथित रूप से फर्जी तैयार कर लिया गया है। जबकि आवेदिका द्वारा ऐसा कोई इकरारनामा अनावेदक के साथ कभी नहीं किया गया है। बल्कि उसने उक्त इकरारनामा के संबंध में यह बताया कि अनावेदक उसे आवासहीन का पट्टा बनवाने हेतु कहकर ब्लॉक अजयगढ़ ले आया था। तथा वहॉ पर बिना कुछ बताये कुछ कागजो पर अगूठा लगवा लिये थे। बाद में जब आवेदिका द्वारा आवास पट्टा के संबंध में पूछा तो बताया गया

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–695–एक/2017 जिला– पन्ना

चन्दनिया आदि विरूद्ध राघवेन्द्र सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री के.के. द्विवेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार मण्डल बीरा, तहसील अयजगढ़, जिला–पन्ना के प्रकरण क्रमांक 04/अ–70/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 09–02–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–पन्ना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 08–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 11.3.19	